कार्यालयः प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

85, राजपुर रोड़, देहरादून 248001, Email:pccfuk@gmail.com

पत्रांक– ख-214 – 18-5 दिनांक : 19/08/ 2021

सेवा में,

समस्त वन संरक्षक/निदेशक,
उत्तराखण्ड।

विषय :– वर्ष 2008 से पूर्व वन जमा में वन पंचायत के सम्बन्धित धनराशि को पुर्नवैध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भः– प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 13/XXVII/आ0प्र0(14)/2008 दिनांक 05.01.2009

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि पंचायती वन से लीसा, लकड़ी एवं अन्य वन उपज के विदोहन से प्राप्त धनराशि को वन जमा में जमा किया जाता है। लेकिन उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 13/XXVII/आ0प्र0(14)/2008 दिनांक 05.01.2009 (पत्र संलग्न) द्वारा वर्ष 2008 से पूर्व वन जमा में उपलब्ध धनराशि को अवरूद्व (फ्रिज) कर दिया गया एवं आदेशित किया गया है कि जमा धनराशि का आगे प्रयोग करने से पूर्व पूर्ण औचित्य/कारण देते हुए इसको वित विभाग से पुर्नवैध (Revalidate) करवना सुनिश्चित करें।

वन प्रभागों के वन जमा में वर्ष 2008 से पूर्व जमा धनराशि में वन पंचायत से सम्बन्धित धनराशि भी सम्मिलित होना सम्भावित है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 26.08.2021 तक सम्बन्धित वन प्रभाग जहाँ वर्ष 2008 से पूर्व वन जमा में वन पंचायत से सम्बन्धित धनराशि जमा है को पूर्ण औचित्य/कारण देते हुए इसको वित विभाग से पुर्नवैध (Revalidate) करने के उपरान्त तत्काल सम्बन्धित वन पंचायत के खाते में उत्तराखण्ड वन पंचायत नियमावली 2005 (यथा संशोधित 2012) की धारा 30 के अनुरूप कार्यवाही करते हुये स्थानान्तरित करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नःउपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राजीव भरतरी)
प्रमुख वन संरक्षक(HoFF),
उत्तराखण्ड।

संख्या ख-214/18-5 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, गढवाल एवं वन्यजीव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख वन संरक्षक(HoFF),
उत्तराखण्ड।

संख्या ख-214/18-5 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, एवं वन्यजीव, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख वन संरक्षक(HoFF),
उत्तराखण्ड।